न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
A.B.P. No.- 480/2026
अमित कुमार सिंह उर्फ भीम सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार
[दरौंदा थाना कांड संख्या 383/2024]
आदेश

08.06.2026 आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. अमित कुमार सिंह उर्फ भीम सिंह, 2. प्रदीप सिंह, 3. राजीव कुमार सिंह एवं 4. संदीप कुमार सिंह** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0 480/2026, दरौंदा थाना कांड संख्या 383/2024, अंतर्गत धारा–191(2), 191(3), 126(2), 115(2), 329(2), 329(3), 303(2), 305, 352 भारतीय न्याय संहिता पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सिंह एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन यह है कि दिनांक 27.08.2024 को समय करीब 9:35 बजे रात्रि में सूचिका के ही गांव के अमित कुमार सिंह उर्फ भीम सिंह बी0डी0सी0 सदस्य, संदीप सिंह, प्रदीप सिंह, राजीव सिंह, संजीत जयसवाल, पप्पु सिंह, पुनीत सिंह, जयगोबिंद यादव उर्फ करीमन, हरिशंकर सिंह, अमन कुमार, सुजीत कुमार सिंह एवं अन्य अज्ञात सभी हरवे–हथियार से लैश होकर आकर लुटपाट एवं मारपीट शुरू कर दिए। दिन में भीम सिंह दो तीन बार आकर पीकेटिग करके गए थे तथा प्लान बनाकर ये लोग आकर लूटपाट शुरू किए। ये लोग घर में गहना तथा 60 हजार रूपए लुट कर ले गए। सूचिका की बहु सीमा देवी के रूप में रखा अटैची लेकर चले गए। उस अटैची में 5 लाख का गहना था। मारपीट में सूचिका के लड़के को चोट लगा है। जिसका नाम बड़ं सिंह हे। ये लोग एक आपराधिक व्यक्ति जिनका लंबा, चौड़ा अपराध है तथा दबंगई कर कई बार रंगदारी की मांग कर चुके है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि सूचिका उर्मिला देवी के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर यह मामला पंजीकृत कराया गया है। आवेदकगण की ओर से कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन कभी भी विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान या माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण के खिलाफ पूर्व से एक मामला पंजीकृत है। अभियोजन की कहानी पूरी तरह से झूठा, आधारहीन और मनगढंत है। आवेदकगण के खिलाफ यह मामला सिर्फ दबाव और गांव की गंदी राजनीति के कारण पंजीकृत कराया गया है। आवेदकगण के पास से कोई भी वस्तु बरामद नहीं किया गया है। आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है और उसे गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है। उभय पक्षों के बीच भूमि संबंधी विवाद है। आवेदकगण मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः उनके द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा गया है कि आवेदकगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
A.B.P. No.- 480/2026
अमित कुमार सिंह उर्फ भीम सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार
[दरौंदा थाना कांड संख्या 383/2024]

08.06.2026
लगातार

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी दरौंदा थाना कांड संख्या 383/2024, अंतर्गत धारा–191(2), 191(3), 126(2), 115(2), 329(2), 329(3), 303(2), 305, 352 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आवेदकगण के विरूद्ध पंजीकृत कराई गई है। आवेदकगण के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका एवं उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने एवं लूटपाट करने का आरोप लगाया गया है। आवेदकगण के ऊपर स्पष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। कांड दैनिकी के अनुसार चिकित्सक ने जख्मी के जख्म को साधारण प्रकृति का पाया है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 49 के अनुसार आवेदक संदीप कुमार सिंह के खिलाफ इस मामला के अलावा अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है एवं अन्य आवेदकगण के खिलाफ इस मामला के अलावा पूर्व से एक मामला पंजीकृत है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं कारित जख्म की प्रकृति एवं उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उनकी ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत होने योग्य है।

अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. अमित कुमार सिंह उर्फ भीम सिंह, 2. प्रदीप सिंह, 3. राजीव कुमार सिंह एवं 4. संदीप कुमार सिंह** को 30 दिनों के अंदर गिरफ्तार होने अथवा विद्वान विचारण न्यायालय में आत्म समर्पण करने के पश्चात् इनके द्वारा मो0 10,000/– रूपये की राशि के दो समान प्रतिभूवाले बंधपत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि के पश्चात् धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तो के अलावे एक जमानतदार आवेदकगण का निकट संबंधी होने की शर्त के अनुपालन के निर्देश के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
सिवान।
दिनांक 08.06.2026

Date of Order/Judgment	06.06.2026
Date of Reserving Order/Judgment	06.06.2026
Uploading Date	10.06.2026
Uploaded By	Ravi Kant